

न्यायालय राजस्व मण्डल,

मध्य प्रदेश ग्वालियर

904 - III - 16

प्रकरण क्रमांक - /2016 निगरानी

दिनांक 19-1-16 को
श्री. जे. पी. नरपत सुल्तान खॉ
द्वारा प्रस्तुत।

पुत्र श्री कासिम खॉ ,

निवासी सतनवाड़ा कलॉ

तहसील एवं जिला शिवपुरी म0प्र0

आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा

कलेक्टर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश

अनावेदक

(आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्र0क्र0 186/
2010-11 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-12-2015 के
विरुद्ध निगरानी - अंतर्गत राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की
कंडिका 30 सहपठित म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 धारा 50)

कृ0पृ030----

19.1.16
G. P. Nagarkar
Adv.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग - अ



प्रकरण क्रमांक निगरानी 204-तीन/2016

जिला शिवपुरी

सुल्तान खां

विरुद्ध

म0प्र0 शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-2-2016	<p>अनावेदक की ओर से श्री0 जी0पी0 नायक अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा आज एक आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि यह प्रकरण भूमि के विक्रय से संबंधित होकर राजस्व पुस्तक परिपत्र (4)(3) की कंडिका 20 के अन्तर्गत है जिसमें विनिमय किये जाने के अधिकार कलेक्टर, कमिश्नर को नहीं रहे हैं, नवीन संशोधन के अनुसार राज्य शासन में वैधित है। यह प्रकरण त्रुटिवश इस न्यायालय में प्रस्तुत हो गया है अतः इस प्रकरण को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने बावत वापस किया जाये। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं अनुरोध को स्वीकार करते हुये प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जाता है।</p> <p> 13.1.15</p> <p> सदस्य</p>	